मु.नं.–17 / 2020 GCMS ID-2020/00033 ता.रजु–04.05.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुग्रीव मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना, ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–19.08.2020

1. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस(कोविड–19) के कारण न्यायालय में सुनवाई स्थगित किये जाने से प्रकरण की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में सरपंच पद हेतु पंचायत आम चुनाव 2020 से संबंधित प्ररूप–7, प्ररूप–11, प्ररूप–12, प्ररूप–13, प्ररूप–14 आदि कुल 13 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 311 दिनांक 13.07.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा समान सूचना के लिये दो आवेदन उनके कार्यालय में एवं दो आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में पेश किये थे जो अंतरित होकर उनके कार्यालय में प्राप्त हुए। कार्यालय में प्रस्तुत एक आवेदन पर 47 पृष्ठीय सूचना हेतु पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 165 दिनांक 02.03.2020 द्वारा प्रति पृष्ठ 2 / – रुपये की दर से 94 / – रुपये की मांग की गई थी जिसे अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा करवा दिये जाने पर 47 पृष्ठीय सूचना अपीलार्थी को पत्र क्रमांक–सू.अ.अ. / 2020 / 218 दिनांक 20.03.2020 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील संख्या 6725 / 2017 में दिनांक 20.02.2018 को यह उल्लेख किया है कि ''अपीलार्थी को सावचेत किया जाता है कि समान सूचना बार–बार मांग कर लोक प्राधिकरण के समय एवं श्रम व्यर्थ न गंवाये।'' अतः शेष 3 आवेदन समान सूचना के होने के कारण खारिज कर दिये गये थे जिसकी सूचना अपीलार्थी को पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 183 दिनांक 06.03.2020 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त पत्रांक 183 दिनांक 06.03.2020 द्वारा प्राप्त सूचना के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अन्य प्रथम अपील संख्या 23 / 2020 श्रीमान् के न्यायालय में दायर की जा चुकी है। इस प्रकार एक प्रकरण की एक ही न्यायालय में दो अपील चलाया जाना विधि सम्मत् नहीं है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। प्रत्यर्थी ने प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को समान सूचना के अन्य आवेदन में सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से एवं सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2020, 11.08.2020 व 19.08.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी के उपस्थित नही आने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 19.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.08.25 17:42:30 IST
Reason: SelfAttested